

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1830]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 3, 2010/भाद्र 12, 1932

No. 1830]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 2010/BHADRA 12, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2010

सं. 70/2010-आयकर

का.आ. 2174(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का.आ. 881(अ) दिनांक 14 सितम्बर, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

- प्रस्तावना में, क्रम संख्या '1 से 8' के शब्दों एवं आंकड़ों के लिए 'क्रम संख्या 1 से 9' के शब्द एवं आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- पैरा (ख), (ग) एवं (घ) में, जहां भी "संयुक्त आयकर निदेशक" शब्द आया है वहां "अपर आयकर निदेशक या संयुक्त आयकर निदेशक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र. आयकर प्राधिकारियों मुख्यालय सं. का पदनाम	भौगोलिक क्षेत्र	व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी	शक्तियां एवं कर्तव्य
1	2	3	4
1. आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय करधान), दिल्ली-I	नई दिल्ली (i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की भौगोलिक सीमाओं में आने वाले क्षेत्र	I. कालम 4 में (i) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए उल्लिखित व्यक्ति जिनका नाम 'ए' से 'एम' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है, अर्थात् :— (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क)	(क) क्रमांक 1 के कालम (5) की मद 1क एवं II (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ख, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित

के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई व्यवसाय संबंध या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न होता है अथवा प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है ;

(ख) कम्पनियों से विन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से विन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं;

(ग) कम्पनियों से विन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;

(ङ) क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय xvii, xviii-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है;

II कालम 4 में (i) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए

(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अन्दर विदेशी कम्पनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई व्यवसाय संबंध या आय का कोई ऐसा स्रोत

कायो एवं शक्तियों समेत सभी कार्य एवं शक्तियां

(ख) क्रमांक 1 के कालम (5) की मद I (ख), I(ग), I(घ) एवं I (ङ), तथा II (ख), II(ग), (घ) एवं II(ङ) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों एवं विदेशी कंपनियों को किए गए पुगतानों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य एवं शक्तियां ।

(ii) हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ की भौगोलिक सीमाओं के अन्दर आने वाले क्षेत्र ।

4

5

6

है जो क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न होता है अथवा प्रोद्भूत या उत्पन्न सम्पत्ति जाता है;

(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं;

(ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;

(ङ) क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय xvii, xvii-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए विम्बेदार है;

2. आयकर निदेशक नई दिल्ली (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) दिल्ली - II

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की भौगोलिक सीमाओं में आने वाले क्षेत्र

(क) क्रमांक 2 के कालम (5) की पर I क II क एवं III (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों समेत सभी कार्य एवं शक्तियाँ।

(ख) क्रमांक 2 के कालम (5) की पर I (ख), I(ग), I(घ) एवं I(ङ) तथा II (ख), II(ग), II(घ) एवं II(ङ) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासीयों एवं विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतानों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड, 195, 196क,

I. कालम 4 में (i) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम 'एन' से 'जेड' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है, अर्थात् :-

(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंतर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थायी स्थापना' है या कोई व्यवसाय संबंध या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न होता है अथवा प्रोद्भूत या उत्पन्न सम्पत्ति जाता है;

1	2	3	4	5	6
				(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं;	196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य एवं शक्तियां ।
			(ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;	(ग) क्रमांक 2 के कालम (5) की मद III (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय xvii-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों को छोड़कर सभी कार्य एवं शक्तियां ।	
			(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;		
			(ङ) क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय xvii, xvii-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार हैं ;		
		(ii) का.आ. 732 (अ) दिनांक 31-7-2001, का.आ. 733(अ) दिनांक 31-7-2001 तथा का.आ. 185(अ) दिनांक 12-2-2007 में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल राज्य में सीसीआईटी, कानपुर, सीसीआईटी, गाजियाबाद तथा सीसीआईटी, देहरादून के क्षेत्राधिकार में आने वाले भौगोलिक क्षेत्र ।	II. क्रमांक 2 के कालम 4 में (ii) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए		
			(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अन्दर विदेशी कम्पनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई व्यवसाय संबंध या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न होता है अथवा प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है;		
			(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं;		

1	2	3	4	5	6
				<p>(ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;</p> <p>(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;</p> <p>(ङ) क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय xvii-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है;</p>	
			(iii) का.आ. 732 (अ) दिनांक 31-7-2001, का.आ. 733(अ) दिनांक 31-7-2001 तथा का.आ. 185(अ) दिनांक 12-2-2007 में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश में सीसीआईटी, लखनऊ, सीसीआईटी, बरेली के क्षेत्राधिकार में आने वाले भौगोलिक क्षेत्र।	<p>III. क्रमांक 2 के कालम 4 में (iii) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए</p> <p>(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अन्दर विदेशी कम्पनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थायी स्थापना' है या कोई व्यवसाय संबंध या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न होता है अथवा प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है।</p>	
3. आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-I, मुम्बई	मुम्बई महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में - ग्रेटर मुम्बई नगर पालिका परिषद् तथा थाणे एवं रायगढ़ जिलों की भौगोलिक सीमाओं में आने वाले क्षेत्र		<p>क्रमांक 3 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम 'ए', 'सी', डी एवं 'आर से जेड' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है।</p> <p>(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 3 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में</p>	<p>(क) क्रमांक 3 के कालम (5) की मद 1 क में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों समेत सभी कार्य एवं शक्तियां।</p> <p>(ख) क्रमांक 3 के कालम (5) की मद (ख), (ग), (घ) एवं (ङ), में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों एवं विदेशी कंपनियों को किए गए घुगतानों पर</p>

1	2	3	4	5	6
					<p>'स्थाई स्थापना' है या कोई व्यवसाय संबंध या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 3 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न होता है अथवा प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है;</p> <p>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 3 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं;</p> <p>(ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 3 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;</p> <p>(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 3 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;</p> <p>(ङ) क्रमांक 3 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय xvii, xvii-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है ;</p> <p>(क) क्रमांक 4 के कालम (5) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्य एवं शक्तियाँ।</p> <p>(ख) क्रमांक 4 के कालम (5) की मद (ख), (ग), (घ) एवं (ङ), में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासीयों एवं विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतानों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड, 195, 196क, 196ख,</p>
4. आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-II मुम्बई	मुम्बई महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में -ग्रेटर मुम्बई नगर पालिका परिषद तथा धाणे एवं रायगढ़ जिलों की भौगोलिक सीमाओं में आने वाले क्षेत्र		क्रमांक 4 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम 'बी' एवं 'ई' से 'क्यू' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है।	
				(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 4 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई व्यवसाय संबंध या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 4 के कालम (4) में	

1	2	3	4	5	6
				<p>उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न होता है अथवा प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है ;</p> <p>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 4 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं ;</p> <p>(ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 4 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है ;</p> <p>(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 4 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है ;</p> <p>(ङ) क्रमांक 4 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय xvii, xvii-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार हैं।</p>	<p>196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य एवं शक्तियां।</p>
5. आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), बंगलौर	बंगलौर कर्नाटक	कर्नाटक, गोवा एवं आंध्र प्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र		<p>(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरा कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 5 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई 'व्यवसाय संबंध' या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 5 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है ;</p> <p>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 5 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं ;</p>	<p>(क) क्रमांक 5 के कालम (5) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों समेत सभी कार्य एवं शक्तियां।</p> <p>(ख) क्रमांक 5 के कालम (5) की मद (ख), (ग), (घ) एवं (ङ), में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों एवं विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतानों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य एवं शक्तियां।</p>

1

2

3

4

5

6

6. आयकर निदेशक
(अंतर्राष्ट्रीय
कराधान),
चेन्नई

चेन्नई,
तमिलनाडु

तमिलनाडु, केरल राज्य
तथा संघ राज्य क्षेत्र
पांडिचेरी एवं लक्षदीप
की भौगोलिक सीमा के
अन्दर आने वाले क्षेत्र

(ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 5 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है ;

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 5 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है ;

(ङ) क्रमांक 5 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय xvii या अध्याय xvii-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार हैं ।

(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 6 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई 'व्यवसाय संबंध' या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 6 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है ;

(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 6 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं ;

(ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 6 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है ;

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत

(क) क्रमांक 6 के कालम (5) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों समेत सभी कार्य एवं शक्तियां।

(ख) क्रमांक 6 के कालम (5) की मद (ख), (ग), (घ) एवं (ङ), में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों एवं विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतानों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य एवं शक्तियां।

1.	2	3	4	5	6
				कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 6 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;	
				(ड) क्रमांक 6 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII या अध्याय XVII-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है।	
7. आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), कोलकाता	कोलकाता पश्चिम बंगाल	(i) पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की भौगोलिक सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र	I. क्रमांक 7 के कालम (4) में (i) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 7 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई 'व्यवसाय संबंध' या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 7 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है ; (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 7 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं ; (ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 7 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है ; (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 7 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है। (ड) क्रमांक 7 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर	(क) क्रमांक 7 के कालम (5) की मद 1 (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों समेत सभी कार्य एवं शक्तियां। (ख) क्रमांक 7 के कालम (5) की मद 1(ख), 1(ग), 1(घ) एवं 1(ड), में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों एवं विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतानों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य एवं शक्तियां।	

1	2	3	4	5	6
				अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII या अध्याय XVII-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार हैं।	
		(ii) बिहार, झारखंड, असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा की भौगोलिक सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र		II. क्रमांक 7 के कालम (4) में (ii) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 7 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थायी स्थापना' है या कोई 'व्यवसाय संबंध' या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 7 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रदुभूत या उत्पन्न समझा जाता है ;	(ग) क्रमांक 7 के कालम (5) की मद II (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों को छोड़कर सभी कार्य एवं शक्तियां।
8. आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), अहमदाबाद	अहमदाबाद गुजरात	(i) छत्तीसगढ़, गुजरात राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव दादरा एवं नगर हवेली की भौगोलिक सीमा में आने वाले क्षेत्र		I. क्रमांक 8 के कालम (4) में (i) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरा कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 8 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थायी स्थापना' है या कोई 'व्यवसाय संबंध' या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 8 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रदुभूत या उत्पन्न समझा जाता है ; (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या कृषि से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 8 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं ; (ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या कृषि से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 8 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है ;	(क) क्रमांक 8 के कालम (5) की मद I (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों समेत सभी कार्य एवं शक्तियां। (ख) क्रमांक 8 के कालम (5) की मद I (ख), I (ग), I (घ) एवं I (ड), में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों एवं विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतानों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य एवं शक्तियां।

1

2

3

4

5

6

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 8 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;

(ङ) क्रमांक 8 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII या अध्याय XVII-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार हैं।

(ii) मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा में आने वाला क्षेत्र

II. क्रमांक 8 के कालम (4) में (ii) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए

(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कम्पनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरा कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 8 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई 'व्यवसाय संबंध' या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 8 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है।

(ग) क्रमांक 8 के कालम (5) की मद II (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों को छोड़कर सभी कार्य एवं शक्तियां।

9. आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), पुणे

पुणे, महाराष्ट्र

(i) ग्रेटर मुम्बई नगरपालिका परिषद् तथा महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ एवं थाणे जिलों के अन्दर आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर महाराष्ट्र राज्य की भौगोलिक सीमा में आने वाले क्षेत्र

क्रमांक 9 के कालम (4) में (i) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए

(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरा कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 9 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई 'व्यवसाय संबंध' या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 9 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है ;

(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते

(क) क्रमांक 9 के कालम (5) की मद 1 (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों समेत सभी कार्य एवं शक्तियां।

1	2	3	4	5	6
			हैं तथा क्रमांक 9 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं ;		(ख) क्रमांक 9 के कालम (5) की मद (ख), (ग), (घ) एवं (ङ), में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों एवं विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतानों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य एवं शक्तियां ।
			(ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 9 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है ;		
			(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 9 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है ;		
			(ङ) क्रमांक 9 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII या अध्याय XVII-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार हैं।		

2. यह अधिसूचना 2010 से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 187/5/2010-आ.क.नि.1]

रमन चोपड़ा निदेशक (आयकर नि. I)

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं. का.आ. 881(अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2001 के तहत भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई तथा आखिरी बार सं. का.आ. (अ) दिनांक, सितम्बर, 2007 के तहत संशोधित की गई ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2010

No. 70/2010-INCOME TAX

S.O. 2174 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), (Central Board of Direct Taxes) number S.O. 881 (E), dated the 14th September, 2001, namely :—

In the said notification,—

- (i) in the preamble, for the words and figures serial numbers '1 to 8' of words and figures 'serial number 1 to 9' shall be substituted;
- (ii) in paras (b), (c) and (d), for the words "Joint Directors of Income-tax", wherever they occur the words "Additional Directors of Income-tax or Joint Directors of Income-tax" shall be substituted;
- (iii) for the Schedule the following Schedule shall be substituted namely :—

SCHEDULE

Sl. No. of the Income-tax Authorities	Disignation Headquarter	Territorial Area	Persons or class of persons	Powers and functions	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Director of Income-tax (International Taxation) Delhi-1	New Delhi	(i) Areas lying within the territorial limits of National Capital Territory of Delhi	<p>I. For the territorial area mentioned at (i) in column (4) following persons having their names beginning with any of the alphabets 'A' to 'M', namely:—</p> <p>(a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) against serial number 1 or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 1 ;</p> <p>(b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 1 ;</p> <p>(c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 1 ;</p> <p>(d) persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4) against serial number 1 ;</p>	<p>(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item I (a) and II (a) of column (5) against serial number 1.</p> <p>(b) All functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned at items I (b), I (c), I (d) and I (e) and II (b), II (c), II (d) and II (e) of column (5) against serial number 1.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

(e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income-tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 1 ;

(ii) Areas lying within the territorial limits of States of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Rajasthan, Jammu and Kashmir and Union Territory of Chandigarh.

II. For the territorial area mentioned at (ii) in column (4) against serial number 1:

(a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 1 ;

(b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 1 ;

(c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 1 ;

(d) persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4) against serial number 1 ;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Director of Income-tax (International Taxation) Delhi -II	New Delhi	(i) Areas lying within the territorial limits of National Capital Territory of New Delhi	I. For the territorial area mentioned at (i) in column (4) following persons having their names beginning with any of the alphabets 'N' to 'Z', namely:—	(e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income-tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 1 :	<p>(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at Source under section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item I (a), II (a) and III (a) of column (5) against serial number 2.</p> <p>(b) All functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned at items I (b), I (c), I (d) and I (e) and II (b), II (c), II (d) and II (e) of column (5) against serial number 2.</p> <p>(c) all functions and powers excluding functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Chapter XVII-B of Income-tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item III (a) of column (5) against serial number 2.</p>
				(a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) against serial number 2 or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 2;	
				(b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 2;	
				(c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 2;	
				(d) persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<p>having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4) against serial number 2;</p> <p>(e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income-tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 2;</p>	
		(ii) Territorial area under the jurisdiction of CCIT, Kanpur, CCIT, Gaziabad and CCIT Dehradun in the State of Uttar Pradesh and Uttaranchal, Specified in S.O. 732 (E) dated 31-7-2001, S.O. 733 (E) dated 31-7-2001 and S.O. 185 (E) dated 12-2-2007		<p>II. For the territorial area mentioned at (ii) in column (4) against Serial number 2.</p> <p>(a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of subsection (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 2;</p> <p>(b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 2;</p> <p>(c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 2;</p> <p>(d) persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4) against serial number 2;	
				(e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 2;	
		(iii) Territorial area under the jurisdiction of CCIT, Lucknow, CCIT, Allahabad, CCIT, Bareilly, in State of Uttar Pradesh Specified in S.O. 732 (E) dated 31-7-2001, S.O. 733 (E) dated 31-7-2001 and S.O. 185 (E) dated 12-2-2007		III. For the territorial area mentioned at (iii) in column (4) against Serial number 2.	
				(a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 2;	
3. Director of Mumbai, Income-tax Maharashtra (International Taxation)-I Mumbai		In the State of Maharashtra - Areas lying within the territorial limits of Metropolitan Council of Greater Mumbai and Districts of Thane and Raigarh.		For the territorial area mentioned in column (4) against serial number 3 following persons having their names beginning with any of the alphabets 'A', 'C', 'D' and 'R' to 'Z'.	
				(a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in	(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at Source under section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item (a) of column (5) against serial number 3.
					(b) All functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 on

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<p>the areas mentioned in column (4) against serial number 2 or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 3;</p>	<p>payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned at items (b), (c), (d) and (e) of column (5) against serial number 3.</p>
				<p>(b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 3;</p>	
				<p>(c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4) against serial number;</p>	
				<p>(d) persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4) against serial number 3;</p>	
				<p>(e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 3.</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Director of Mumbai Income tax Maharashtra (International Taxation)-II Mumbai	In the State of Maharashtra - Areas lying within the territorial limits of Metropolitan Council of Greater Mumbai and Districts of Thane and Raigarh.	<p>For the territorial area mentioned in column (4) against serial number 4 following persons having their names beginning with any of the alphabet 'B' and 'E' to 'Q'.</p> <p>(a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 4 ;</p> <p>(b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 4 ;</p> <p>(c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 4 ;</p> <p>(d) persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4) against serial number 4 ;</p> <p>(e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 4 ;</p>	<p>(a) All functions and powers including functions and powers relating to tax Deduction at Source under section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item (a), of column (5) against serial number 4.</p> <p>(b) All functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned at items (b), (c), (d) and (e) of column (5) against serial number 4.</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Director of Income tax (International Taxation), Bangalore	Bangalore, Karnataka	Area lying within the territorial limit of State of Karnataka, Goa and Andhra Pradesh.	<p>(a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) against serial number 5 or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 5;</p> <p>(b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 5;</p> <p>(c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 5;</p> <p>(d) persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4) against serial number 5;</p> <p>(e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 5.</p>	<p>(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at Source under section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item (a) of column (5) against serial number 5;</p> <p>(b) All functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned at items (b), (c), (d) and (e) of column (5) against serial number 5.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Director of Income - tax (International Taxation), Chennai	Chennai, Tamilnadu	Area lying within the territorial limit of State of Tamilnadu, Kerala, Union territory of Pondecherry and Lakshadweep.	<p>(a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) against serial number 6 or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 6;</p> <p>(b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 6;</p> <p>(c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 6;</p> <p>(d) persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4) against serial number 6;</p> <p>(e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 6;</p>	<p>(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at Source under section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item (a) of column (5) against serial number 6;</p> <p>(b) All functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned at items (b), (c), (d) and (e) of column (5) against serial number 6.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Director of Income-tax (International Taxation), Kolkata West Bengal		(i) Areas lying within the territorial limit of State of West Bengal, Orissa, Sikkim and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.	<p>I. For the territorial area mentioned at (i) in column (4) against serial number 7 :</p> <p>(a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) against serial number 7 or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 7;</p> <p>(b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 7;</p> <p>(c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 7;</p> <p>(d) persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4) against serial number 7;</p> <p>(e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income Tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 7 ;</p>	<p>(a) All functions and powers including functions and powers relating to tax Deduction at Source under section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item I (a) of column (5) against serial number 7;</p> <p>(b) All functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Section 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned at items I(b), I(c), I(d) and I(e) of column (5) against serial number 7.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			(ii) Area lying within the territorial limit of State of Bihar, Jharkhand, Assam, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Tripura.	<p>II. For the territorial area mentioned at (ii) in column (4) against Serial number 7.</p> <p>(a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) against serial number 7 or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 7.</p>	(c) all functions and powers excluding functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Chapter XVII-B of Income-tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item II (a) of column (5) against serial number 7.
8. Director of Ahmedabad, Income-tax Gujarat (International Taxation), Ahmedabad		(i) Areas lying within the territorial limit of State of Chhattisgarh, Gujarat and Union Territories of Daman and Diu Dadra and Nagar Haveli		<p>I. For the territorial area mentioned at (i) in column (4) against serial number 8:</p> <p>(a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) against serial number 8 or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 8;</p> <p>(b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 8;</p> <p>(c) persons being other than</p>	<p>(a) All functions and powers including functions and powers relating to tax Deduction at Source under sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item I (a) of column (5) against serial number 8.</p> <p>(b) All functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned at items I (b), I (c), I (d) and I (e) of column (5) against serial number 8.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<p>companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 8;</p> <p>(d) persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4) against serial number 8;</p> <p>(e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income-tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 8.</p>	
			(i) Area lying within the territorial limit of Madhya Pradesh.	<p>II. For the territorial area mentioned at (ii) in column (4) against serial number 8.</p> <p>(a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) against serial number 8 or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 8.</p>	(c) all functions and powers excluding functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Chapter XVII-B of Income-Tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item II (a) of column (5) against serial number 8.
			(i) Area lying within the territorial limit of State of Maharashtra excluding the areas within Metropolitan Council of Greater Mumbai and District of Thane and Raigarh in the State of Maharashtra	<p>For the territorial area mentioned at (i) in column (4) against serial number 9.</p> <p>(a) Persons being non-residents including foreign companies within the meaning of sub-section (23A) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 and having a 'Permanent</p>	(a) All functions and powers including functions and powers relating to Tax Deduction at Source under sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 in respect of persons mentioned at item (a) of
	9. Director of Income-tax (International Taxation), Pune	Pune, Maharashtra			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Establishment' in terms of the applicable Double Tax Avoidance Agreement, in the areas mentioned in column (4) against serial number 9 or having a 'Business Connection' or having any source of income accruing or arising or deemed to be accruing or arising in the areas mentioned in column (4) against serial number 9;	column (5) against serial number 9.
				(b) persons being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 9;	(b) All functions and powers relating to Tax Deduction at Source under Sections 194E, 195, 196A, 196B, 196C, 196D and 197 of the Income-tax Act, 1961 on payments made to non-residents and foreign companies in respect of persons mentioned at items (b), (c), (d) and (e) of column (5) against serial number 9.
				(c) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 9;	
				(d) persons being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4) against serial number 9;	
				(e) any other person responsible for deducting tax at source under Chapter XVII or Chapter XVII-B of the Income-tax Act, 1961, within the territorial area mentioned in column (4) against serial number 9.	

2. This notification shall come into force with immediate effect.

3. Hindi version will follow shortly.

[F. No. 187/5/2010-ITA-I]

RAMAN CHOPRA, Director (ITA-I)

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 881(E), dated the 14th September, 2001 and lastly amended, *vide*, number S.O. 1680 (E), dated 28th September, 2007.